भारत सरकार

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1840

उत्तर देने की तारीख: 10.02.2026

ओबीसी आरक्षण और क्रीमीलेयर नीति का कुप्रबंधन

1840. श्री सुरेश कुमार शेटकर:

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि क्रीमीलेयर की मौजूदा सीमा अप्रचलित, अवास्तविक है और यह वास्तव में हजारों संघर्षरत ओबीसी छात्रों को उनके उचित आरक्षण लाभों से वंचित करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) वे कारण जिनके चलते सरकार ने सामाजिक न्याय सुधारों का बार-बार वादा करने के बावजूद पारदर्शी जातिवार डेटा रिपोर्ट जारी करने से इनकार कर दिया है और यह गोपनीयता नीतिगत सुधार की प्रतीक्षा कर रहे लाखों लोगों के साथ अन्याय है;

(ग) अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी), अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (एससी/एसटी) छात्रों के लिए छात्रवृत्ति निधि और मैट्रिक के बाद की सहायता राशि में नियमित रूप से विलंब, कटौती या अप्रयुक्त रह जाने के क्या कारण हैं जबकि छात्र वित्तीय दबाव के कारण बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि कई राज्यों में छात्रावास सुविधाओं, कौशल केंद्रों और कल्याणकारी योजनाओं की उचित निगरानी का अभाव है और लाभार्थियों को जिन दयनीय परिस्थितियों में जीवन यापन करने के लिए मजबूर होना पड़ता है, उनकी जिम्मेदारी स्वीकार न करने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उन कारणों का ब्यौरा क्या है जिनके चलते मंत्रालय ने आरक्षण नीतियों और क्रीमीलेयर संबंधी मानदंडों की स्वतंत्र समीक्षा नहीं आरंभ की है, जबकि उच्चतम न्यायालय ने भी आवधिक संशोधन और साक्ष्य आधारित सुधार की आवश्यकता का संकेत दिया है?

उत्तर

सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री

(श्री बी.एल. वर्मा)

(क): आय सीमा में संशोधन समय-समय पर लगातार किया जाता है। वार्षिक आय सीमा को 6 लाख रुपये से बढ़ाकर 8 लाख रुपये करने का नवीनतम आदेश कार्मिक और प्रशिक्षण

विभाग (डीओपीटी) द्वारा 13.9.2017 को जारी किया गया था। वर्तमान में, अन्य पिछड़ा वर्ग की आय सीमा में और संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख): यह मंत्रालय ऐसा कोई आंकड़ा नहीं रखता है।

(ग): ओबीसी और अन्य के लिए "वाइब्रेंट इंडिया हेतु पीएम यंग अचीवर्स स्कॉलरशिप अवार्ड योजना (पीएम-यशस्वी)" के तहत केंद्र प्रायोजित योजनाओं के अंतर्गत छात्रवृत्तियों का संवितरण संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सैद्धांतिक आवंटन के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों के अनुसार किया जाता है। मंत्रालय अन्य पक्ष के मूल्यांकन अध्ययनों के माध्यम से योजनाओं के कार्यान्वयन की समय-समय पर समीक्षा करता है। अध्ययनों में पाया गया है कि ये संतोषजनक ढंग से चल रही हैं और इससे वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति हो रही है।

(घ): यह मंत्रालय अन्य पिछड़ा वर्ग के बालक और बालिकाओं के लिए छात्रावासों के निर्माण की केंद्र प्रायोजित योजना के तहत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता जारी करता है। हालांकि, छात्रावासों के रखरखाव के लिए कोई निधि जारी नहीं की जाती है। मंत्रालय राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय स्तर, राज्य स्तर पर बैठकें आयोजित करके और वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा क्षेत्र का दौरा करके और अन्य पक्ष के मूल्यांकन अध्ययनों के माध्यम से योजनाओं की समय-समय पर समीक्षा करता है।

(ड.): भारत सरकार ने कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) के 8.9.1993 के कार्यालय ज्ञापन और समय-समय पर जारी अन्य अनुदेशों के माध्यम से निदेश दिया है कि सरकारी सिविल पदों और सेवाओं में सीधी भर्ती में 27% रिक्तियां अन्य पिछड़ा वर्ग (सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग-एसईबीसी) के लिए आरक्षित हैं। आरक्षण नीति का कार्यान्वयन डीओपीटी द्वारा किया जा रहा है।

******